रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2004/चैत्र 9, 1926
No. 68] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2004/CHAITRA 9, 1926

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2004

सं० एल-7/25(5)/2003-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :(1) इस विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 है ।

(2) ये विनियम 1-4-2004 से प्रवृत्त होंगे और जब तक इनका आयोग द्वारा पहले पुनर्विलोकन नहीं किया जाता या विस्तारित नहीं किए जाते, ये 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त होंगे :

परन्तु यह कि जहां कोई परियोजना, जिसमें उसका भाग भी सम्मिलित है, इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व आरंभ की जाती है और जिसका टैरिफ उस तारीख तक आयोग द्वारा अंतिम रूप से अवधारित नहीं किया गया है वहां यथास्थिति, ऐसी परियोजना या उसके भाग के संबंध में, टैरिफ 31-3-2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2001 के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

1087 GI/2004—1A

(3) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

2. लागू होने की परिधि और विस्तार : (1) जहां टैरिफ केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित किए जाते हैं वहां आयोग अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसा टैरिफ अंगीकार करेगा ।

(2) ये विनियम उन सभी अन्य मामलों में लागू होंगे जहां पूंजी लागत पर अवधारित टैरिफ आयोग द्वारा अवधारित किया जाना है :

परन्तु यह कि आयोग द्वारा ऐसे उत्पादन केन्द्रों जिनका टैरिफ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2001 के अनुसार अवधारित नहीं किया गया है, के टैरिफ जिसे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2001 के अनुसार अवधारित नहीं किया गया है, के लिए इन विनियमों में अंतर्विष्ट प्रचालन के जिसमें लक्ष्य उपलब्धता और संयंत्र प्रभार फेक्टर भी सम्मिलित है, शिथिल संनियम विहित कर सकेगा और शिथिल संनियम ऐसे उत्पादन केन्द्र के लिए टैरिफ के लिए अवधारण में लागू होंगे ।

3. प्रचालन के संनियमों का अधिकतम संनियम होना : शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रचालन के संनियम अधिकतम संनियम हैं और प्रचालन के सुव्यवस्थित संनियमों पर सहमति होने से यह, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और फायदाग्राहियों को नहीं रोकेगा और यदि सुव्यवस्थित संनियमों पर सहमति हो जाती है तो ऐसे सुव्यस्थित संनियम टैरिफ के अवधारण के लिए लागू होंगे ।

4. टैरिफ अवधारण : (1) इन विनियमों के अधीन उत्पादन स्टेशन के संबंध में, टैरिफ, प्रक्रम वार यूनिट-वार या संपूर्ण उत्पादन केन्द्र के लिए अवधारित किया जाएगा और पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ, यथास्थिति, लाइन-वार, उप-केन्द्रवार और प्रणाली-वार अवधारित किया जाएगा और वह प्रादेशिक टैरिफ का योग होगा ।

(2) टैरिफ के प्रयोजन के लिए, परियोजना की पूंजी लागत प्रक्रमों में और परियोजना के सुभिन्न यूनिट प्ररूपिक भाग द्वारा रोकी जाएगी । जहां यूनिट-वार, लाइन-वार या उप-केन्द्र-वार परियोजना की पूंजी लागत का ब्रेकअप उपलब्ध नहीं है वहां चालू परियोजनाओं की दशा में समान्य प्रसुविधा यूनिटों और लाइनों या उपक्रेन्द्रों की संस्थापित क्षमता के आधार पर प्रभाजित की जाएगी । सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और ऊर्जा संघटक के साथ बहु-प्रयोज्यीय हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं के संबंध में, परियोजना के ऊर्जा संघटक को प्रभार्य पूंजी लागत पर केवल टैरिफ परियोजना के लिए ही विचार किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस अध्याय के प्रयोजन के लिए,"परियोजना" में उत्पादन केन्द्र और पारेषण प्रणाली सम्मिलित है ।

5. टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन : (1) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादन केन्द्र की पूरी इकाइयों या पारेषण प्रणाली की लाइनों या उपक्रेन्द्रों के संबंध में, टैरिफ नियत करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) विद्यमान उत्पादन केन्द्र या विद्यमान पारेषण प्रणाली की दशा में, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट 1 के अनुसार टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन करेगा ।

(3) 1-4-2004 को या उसके पश्चात् वाणिज्यक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादन केन्द्र या पारेषण प्रणाली की दशा में, टैरिफ का अवधारण करने के लिए आवेदन दो प्रक्रमों में किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन करने की तारीख तक वास्तविक रूप से उपगत पूंजी व्यय पर आधारित परियोजना के अग्रिम में पूरा होने की प्रत्याशित तारीख या ऐसे आवेदन, जो सम्यक् रूप से कानूनी संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित और प्रमाणित हो, करने की पूर्व तारीख को अंनतिम टैरिफ के अवधारण के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट 1 के अनुसार आवेदन कर सकेगा और अंनतिम

टैरिफ उत्पादन केन्द्र की अपनी-अपनी इकाइयों या पारेषण प्रणाली की लाइन या उप-केन्द्र के प्रचालन की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रभारित किया जाएगा ;

(ii) उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन केन्द्र या पारेषण प्रणाली के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक वास्तविक रूप से उपगत पूंजी व्यय पर आधारित अंतिम टैरिफ के अवधारण के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट-1 के अनुसार एक नया आवेदन करेगा जो कानूनी संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित और प्रमाणित हो ।

6. कोर कारबार : इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, "कोर कारबार" से विद्युत के उत्पादन या पारेषण के विनियमित क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं और इसमें उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के परामर्श, दूरसंचार आदि जैसे कोई अन्य कारबार या क्रियाकलाप सम्मिलित नहीं है ।

7. आय पर कर : (1) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के उनके कोर कारबार से हुई आय पर कर को खर्चे के रूप में संगणित किया जाएगा और उसे फायदाग्राहियों से बसूल किया जाएगा ।

(2) आय पर कर की किसी भी प्रकार की कम बसूली या अधिक बसूली को कानूनी संपरीक्षकों द्वारा यथाप्रमाणित आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय-कर निर्धारण के आधार पर प्रत्येक वर्ष समायोजित किया जाएगा :

परन्तु यह कि कोर कारबार से भिन्न किसी भी आय स्ट्रीम पर कर को टैरिफ में संघटक के माध्यम से नियत नहीं किया जाएगा और ऐसी अन्य आय पर कर, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदेय होगा :

परन्तु यह और कि अग्रिम में वर्ष के लिए यथा प्राक्कलित उत्पादन कंपनी की दशा में, कर से पूर्व उत्पादन केन्द्र-वार लाभ और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की दशा में, करने से पूर्व क्षेत्र-वार लाभ सभी उत्पादन केन्द्रों और क्षेत्रों के लिए निगमित कर दायित्व के वितरण के लिए नियत किया जाएगा :

परन्तु यह और कि आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार यथा लागू कर-अवकाश के फायदे फायदाग्राहियों को दिए जाएंगे :

परन्तु यह और कि किसी अन्य साम्यापूर्ण आधार के अभाव में, अग्रनीत हानियों, अनामेलित अवक्षयण के लिए ऋण इस विनियम के दूसरे परन्तुक में यथा उपबंधित अनुपात में दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि ताप उत्पादन केन्द्र को आबंटित आय-कर उसी अनुपात में वार्षिक नियत प्रभारों के रूप में फायदाग्राहियों को प्रभारित किया जाएगा, हाइड्रो उत्पादन केन्द्र को आबंटित आय-कर को वार्षिक क्षमता प्रभारों के रूप में उसी अनुपात में फायदाग्राहियों को प्रभारित किया जाएगा तथा अन्तर-राज्यिक पारेषण की दशा में आय-कर का विभाजन वार्षिक पारेषण प्रभारों के आधार पर प्रभारित किया जाएगा ।

8. कर-करार तंत्र : (1) फायदाग्राही किसी अनुसूचित बैंक में खाता खोलकर कर-करार तंत्र के ब्याज को बनाए रखेंगे जिसके लिए ब्याज की संपूर्ण रकम उस लेखा में जमा की जाएगी ।

(2) कर दायित्व का आंकलन प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में दो मास पूर्व किया जाएगा और उसकी सूचना फायदाग्राहियों को दी जाएगी । उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी फायदाग्राहियों से बसूलनीय करों के मद्दे अपने दायित्व में कमी करने का प्रयास करेंगे ।

(3) उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपने कानूनी संपरीक्षकों से कि ऐसी रकम तत्काल देय है तथा कर प्राधिकारी को संदेय है, ऐसे प्रमाणपत्र, को इस्क्रो धारक को प्रस्तुत करने पर आय-कर दायित्व के परिनिर्धारण करने के लिए रकम निकालने के लिए प्राधिकृत होंगे ।

(4) उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी कर प्राधिकारी से प्राप्त किसी भी प्रतिदाय को कर-करार खाते में संदत्त करेगा ।

(5) प्रतिदाय, यदि कोई हो, फायदाग्राहियों को पुनः संदत्त नहीं किया जाएगा और कर करार खाते में समायोजित किया जाएगा किसी भी शोध्य या वापसी योग्य अतिशेष को आगामी वर्ष में पुनःसमायोजित किया जाएगा ।

(6) कर-करार लेखाओं को फायदाग्राहियों की लेखा बहियों में उनके बैंक खाते के अनुसार दर्शित किया जाएगा ।

9. अतिरिक्त रुपया दायित्व : सुसंगत वर्ष में, यथास्थिति, मानकीय विदेशी ऋण या वास्तविक विदेशी ऋण, जो भी कम हो, तत्स्थानी ब्याज संदाय और ऋण प्रतिसंदाय के लिए अतिरिक्त रुपया दायित्व अनुज्ञेय होगा । परन्तु यह विदेशी मुद्रा दर में अंतर से प्रत्यक्षतः उद्भूत हो और उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या इनके प्रदायकर्ताओं या संविदाकारों के कारण हुआ माना नहीं जा सकता है । प्रत्येक उत्पादन कंपनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उस अवधि, में आय या खर्च जिसमें वे उद्भूत होते हैं, के रूप में वर्षानुवर्ष आधार पर विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर को बसूल करेगा और वर्षानुवर्ष आधार पर उन्हें समायोजित करेगा ।

10. आय-कर और विदेशी मुद्रा दर अंतर की वूसली : आय-कर और विदेशी मुद्रा दर अंतर की बसूली आयोग को कोई आवेदन किए बिना, फायदाग्राहियों से, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्यक्षतः की जाएगी :

परन्तु यह कि आय-कर या विदेशी मुद्रा अंतर के कारण दावाकृत रकम के लिए फ़ायदाग्राहियों द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति की दशा में, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समक्ष उसके विनिश्चय के लिए समुचित आवेदन फाइल कर सकेंगे ।

11. संनियमों से विचलन : (1) उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत के विक्रय के लिए टैरिफ इन विनियमों में विनिर्दिष्ट संनियमों के विचलन में भी के इस शर्त के अध्यधीन अवधारित किया जा सकेगा कि :

(क) विचलन में संनियमों के आधार पर संगणित पूर्ण आस्ति पर विद्युत का संपूर्ण प्रति यूनिट टैरिफ इन विनियमों में विनिर्दिष्ट संनियमों के आधार पर संगणित प्रति यूनिट टैरिफ से अधिक नहीं है ;

(ख) बोर्ड ऐसा विचलन आयोग द्वारा अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगा ।

(2) विद्यमान उत्पादन केन्द्रों, नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के जिसका टैरिफ प्रारंभिक रूप से नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और फायदाग्राहियों के बीच पारस्परिक करार पर आधारित आगामी शुद्ध नियत आस्तियां अभिगम द्वारा अवधारित किया गया था, का टैरिफ शुद्ध नियत आस्तियां अभिगम को स्वीकर करते निरन्तर अवधारित किया जाएगा ।

12. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति : यदि इस विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रेरणा या अन्यथा से आदेश द्वारा और ऐसे आदेश द्वारा प्रभावित होने वालों को युक्तियुक्त अबसर देने के पश्चात् ऐसे उपबंध बना सकेगा जो इन विनियमों से असंगत न हो, और कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों ।

13. शिथिल करने की शक्ति : आयोग लिखित में अभिलिखित किए जो वाले कारणों के लिए स्वप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष किए गए आवेदन के आधार पर इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा ।

अध्याय 2

ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

14. परिभाषाएं : इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है ;

(ii) "अतिरिक्त पूंजीकरण" से उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् वास्तविक रूप से उपगत और विनियम 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् स्वीकार किया गया पूंजी व्यय अभिप्रेत है ;

(iii) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 70 में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(iv) अवधि के संबंध में, "सहायक ऊर्जा उपभोग" या "ए यू एक्स" से उत्पादन केन्द्र के सहायक उपस्कर द्वारा उपयोग की ऊर्जा और उत्पादन केन्द्र के भीतर ट्रांसफार्मर हानियों की मात्रा अभिप्रेत है और इसे उत्पादन केन्द्र की सभी इकाइयों के जनरेटर टर्मिनलों पर उत्पादित कुल ऊर्जा की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा ;

(v) किसी अवधि के लिए ताप उत्पादन केन्द्र के संबंध में, "उपलब्धतता" से उत्पादन केन्द्र की संस्थापित क्षमता की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त उस अवधि के दौरान सभी दिनों के लिए दैनिक औसत घोषित क्षमता और मेगावाट में मानकीय सहायक उपभोग अभिप्रेत है और इसे निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा :

$$\text{उपलब्धता} = 10000 \times \frac{\sum_{\text{आई}=1}^{\text{एन}} \text{डीसी}_{\text{आई}}}{\{\text{एन} \times \text{आईसी} \times (100 - \text{एयूएक्स}_{\text{एन}})\}} \%$$

जहां,--

आईसी = उत्पादन केन्द्र की संस्थापित क्षमता मेगावाट में,

डीसीआई = अवधि की दिन के लिए की औसत घोषित क्षमता मेगावाट में

एन = अवधि के दौरान दिनों की संख्या, और

$\text{एयूएक्स}_{\text{एन}}$ = कुल उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में मानकीय सहायक ऊर्जा उपभोग ;

(vi) उत्पादन केन्द्र के संबंध में, "फायदाग्राही" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो वार्षिक नियत प्रभारों के संदाय पर ऐसे किसी उत्पादन केन्द्र से उत्पादित विद्युत क्रय करता है ;

(vii) संयुक्त आवर्तन ताप उत्पादन केन्द्र के संबंध में "ब्लाक" के अंतर्गत दहन टर्बाइन जनरेटर (जनरेटरों), सहबद्ध अपशिष्ट तापन रिकवरी बायलर (बायलरों), संबद्ध स्कीम टर्बाइन जनरेटर और सहायक उपकरण सम्मिलित है ;

(viii) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(ix) "अंतिम तारीख" से उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के एक वर्ष के पश्चात् समाप्त होने वाले प्रथम वित्तीय वर्ष की तारीख अभिप्रेत है ;

(x) यूनिट के संबंध में, "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" या "सी ओ डी" से सफलतापूर्वक परीक्षण पर चलाकर अधिकतम निरन्तर रेटिंग (एमसीआर) या संस्थापित क्षमता (आईसी) को प्रदर्शित करने के पश्चात् उत्पादक द्वारा घोषित तारीख अभिप्रेत है तथा उत्पादन केन्द्र के संबंध में, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से उत्पादन केन्द्र की अंतिम यूनिट या ब्लाक के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अभिप्रेत है ;

(xi) "घोषित क्षमता" या डी सी" से ईंधन की उपलब्धता पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए, किसी दिन या संपूर्ण दिन की किसी अवधि के संबंध में, उत्पादन केन्द्र द्वारा घोषित मेगावाट में एक्स-बस विद्युत परिदान करने के लिए उत्पादन केन्द्र की क्षमता अभिप्रेत है ;

टिप्पण

गैस टर्बाइन उत्पादन केन्द्र या संयुक्त आवर्तन उत्पादन केन्द्र की दशा में, उत्पादन केन्द्र यूनिटों की क्षमता और गैस ईंधन संबंधी मापांकों तथा तरल ईंधन की पृथक् रूप से घोषित क्षमता और उत्पादन केन्द्रों के लिए निर्धारित उत्पादन कंपनी अपने घोषित क्षमता और गैस ईंधन के लिए निर्धारित उत्पादन और उपलब्धता की संगणना करने के प्रयोजन के लिए द्रव ईंधन तथा संयंत्र भार कारक का योग होगा ;

(xii) "विद्यमान उत्पादन केन्द्र" से 1-4-2004 के पूर्व की तारीख से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत है ;

(xiii) ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र के संबंध में, "सकल उष्मीयमान" या "जीसीवी" से, यथास्थिति, एक किलो ठोस ईंधन या एक लीटर द्रव ईंधन या एक घन मीटर गैसीय ईंधन के पूर्ण दहन द्वारा किलो कैलीरी (kCal) में उत्पादित ऊर्जा अभिप्रेत है ;

(xiv) "कुल केन्द्र ताप दर" या "जी एच आर" से उत्पादन टर्मिनलों पर एक किलोवाट घन्टा विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने के लिए अपेक्षित के.सी.ए.एल में ताप ऊर्जा अभिप्रेत है ;

(xv) "इन्फर्म ऊर्जा" से उत्पादन केन्द्र के इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन के पूर्व उत्पादित विद्युत अभिप्रेत है ;

(xvi) "संस्थापित क्षमता" या "आई सी" से उत्पादन केन्द्र में यूनिटों की दर्ज क्षमता या यथालागू अप-रेटिंग, डी-रेटिंग पर विचार करते हुए, समय-समय पर, आयोग के परामर्श से यथा अवधारित उत्पादन केन्द्र (जनरेटर टर्मिनलों पर माने जाने वाले) की क्षमता का संकलन अभिप्रेत है ;

(xvii) ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र की इकाई के संबंध में, "अधिकतम सतत् रेटिंग" या "एम सी आर" से निर्धारित पैरामीटरों पर विनिर्माताओं द्वारा गारंटीकृत उत्पादन टर्मिनलों पर अधिकतम सतत् उत्पादन और संयुक्त चक्रीय ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र की इकाई या ब्लाक के संबंध में, जल/स्टीम इन्जेक्शन (यदि लागू हो) सहित विनिर्माता द्वारा गारंटीकृत तथा 50 एच जेड ग्रिड फ्रिक्वेंसी और विनिर्दिष्ट स्थल स्थिति पर परिशोधित उत्पादन टर्मिनलों पर अधिकतम सतत् उत्पादन अभिप्रेत है ;

(xviii) "प्रचालन और रखरखाव व्यय" या "ओ एंड एम व्यय" से उत्पादन केन्द्र, जिसमें उसके पुर्जे भी सम्मिलित हैं, के प्रचालन और रखरखाव में उपगत व्यय अभिप्रेत है और इसमें जन शक्ति, मरम्मत, फालतू उपभोज्य वस्तुएं, बीमा और अन्य खर्चे सम्मिलित है ;

(xix) "मूल परियोजना लागत" से टैरिफ के अवधारण के लिए आयोग द्वारा यथास्वीकृत अंतिम इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के एक वर्ष पश्चात्

बन्द होने वाले पहले वित्तीय वर्ष तक परियोजना के मूल विस्तार के अनुसार उत्पादन कंपनी द्वारा उपगत वास्तविक व्यय अभिप्रेत है ।

(xx) दी गई अवधि में, "संयंत्र भार कारक" या " पीएलएफ" से उस अवधि में संस्थापित क्षमता की तत्स्थानी भेजी गई ऊर्जा की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त अवधि के दौरान अनुसूचित उत्पादन के लिए भेजी गई तत्स्थानी ऊर्जा अभिप्रेत है और इसे निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा :

$$\text{पी एल एफ} = 10000 \times \frac{\sum_{\text{आई}=1}^{\text{एन}} \text{डीसी}_{\text{आई}} \{\text{एन} \times \text{आईसी} \times (100 - \text{एयूएक्सएन})\}}{\%}$$

जहां,--

आई सी = उत्पादन केन्द्र की संस्थापित क्षमता मेगावाट में,

$\text{एस जी}_{\text{आई}}$ = अवधि वे सब समय के लिए मेगावाट में अनुसूचित उत्पादन मेगावाट में

एन = अवधि के दौरान समय ब्लाकों की संख्या,

$\text{ए यू ए क्स}_{\text{एन}}$ = कुल उत्पादन प्रतिशतता के रूप में मानकीय सहायक ऊर्जा उपभोग ;

(xxi) "परियोजना" में उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत है ;

(xxii) किसी समय पर या किसी अवधि या समय ब्लाक के लिए,"अनुसूचित उत्पादन" या "एस जी" से प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिए गए मेगावाट एक्स-बस में उत्पादन की समय-सारणी अभिप्रेत है :

टिप्पण

किसी समय ब्लाक के लिए गैस टर्बाइन उत्पादन केन्द्र या संयुक्त आवर्तन उत्पादन केन्द्र हेतु, यदि औसत फ्रिक्वेंसी 49.52 एच जेड से कम है किन्तु 49.02 सच जेड से कम नहीं है तथा अनुसूचित उत्पादन को घोषित क्षमता के 98.5% से अधिक है तो अनुसूचित उत्पादन को घोषित क्षमता के लिए 98.5% से कम किया गया समझा जाएगा तथा यदि समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी 49.02 एच जेड से

कम है और अनूसूचित उत्पादन घोषित क्षमता के 98.5% से अधिक है, तो अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता का 96.5% से कम किया गया समझा जाएगा ;

(xxiii) "लघु गैस टर्बाइन ऊर्जा उत्पादन केन्द्र" से 50 मेगावाट या उससे कम की क्षमता रेंज में गैस टर्बाइनों के साथ गैस टर्बाइन/संयुक्त आवर्तन उत्पादन केंद्र अभिप्रेत और सम्मिलित हैं ;

(xxiv) तापीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र के संबंध में, "यूनिट" से स्टीम जनरेटर, टर्बाइन जनरेटर या सहायक उपकरण अभिप्रेत हैं या संयुक्त आवर्तन ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र से टर्बाइन जनरेटर और सहायक उपकरण अभिप्रेत हैं ;

(xxv) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

15. टैरिफ के संघटक : (1) तापीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र से विद्युत के क्रय के लिए टैरिफ में दो भाग समाविष्ट होंगे, अर्थात् वार्षिक क्षमता (नियत) प्रभार और ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों की बसूली ।

(2) वार्षिक क्षमता (नियत) प्रभारों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :---

(क) ऋण पूंजी पर ब्याज ;

(ख) अवक्षयण, जिसमें अवक्षयण के प्रति अग्रिम भी है ;

(ग) ईक्विटी पर वापसी ;

(घ) प्रचालन और रखरखाव व्यय ; और

(ङ) काम-काज पूंजी पर ब्याज ;

(3) ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों में ईंधन लागत सम्मिलित होगी ।

16. प्रचालन के संनियम : प्रचालन के संनियम जो नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित को लागू होंगे--

(i) **पूर्ण क्षमता (नियत) प्रभारों की बसूली के लिए लक्ष्य उपलब्धता**--

(क) नीचे खंड (ख) और (ग) के अधीन आने वाले स्टेशनों

के सिवाय सभी ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र --80%

(ख) नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र (टी पी एस-I, टी पी एस-II, प्रक्रम 1 और 2 और टी पी एस-I विस्तारण और एन टी पी सी के तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र --75%

(ग) एन टी पी सी के तंडा ताप ऊर्जा केद्र 60 %

टिप्पण

लक्ष्य उपलब्धता के स्तर से नीचे की क्षमता (नियत) प्रभारों की बसूली आनुपातिक आधार पर की जाएगी । शून्य उपलब्धता पर, कोई भी क्षमता प्रभार संदेय नहीं होगा ।

(ii) **प्रोत्साहन के लिए लक्ष्य संयंत्र भार कारक**--

(क) नीचे खंड (ख) और (ग) के अधीन आने वाले केन्द्रों के सिवाय सभी ताप उत्पादन केन्द्र --80%

(ख) नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र (टी पी एस-I, टी पी एस-II, प्रक्रम 1 और 2 तथ एन टी पी सी के तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र) --75%

(ग) एन टी पी सी के ठंडा ताप ऊर्जा केद्र --60 %

(iii) **सकल केन्द्र ताप दर**--

(क) नीचे खंड (ख), (ग) और (घ) में दिए गए केन्द्रों के सिवाय कोयला आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

	200/21/250 मेगावाट सैट	500 मेगावाट और उससे ऊपर के सैट
स्थिरीकरण अवधि के दौरान	2600 कि.कैलोरी/ किलोवाट प्रति घंटा	2450 कि. कैलोरी/ किलोवाट प्रति घंटा

पश्चात्वर्ती अवधि	2500 कि. कैलोरी/ किलोवाट प्रति घंटा	2450 कि. कैलोरी/ किलोवाट प्रति घंटा

टिप्पण 1 :

500 मेगावाट और उससे ऊपर के यूनिटों के संबंध में, जहां बायलर फीड पम्प विद्युत से प्रचालित किए जाते हैं वहां कुल उत्पादन ताप दर उपरोक्त उपदर्शित उत्पादन ताप दर से 40 कि.कैलोरी/किलोवाट प्रतिघंटा कम होगी ।

टिप्पण 2 :

ऐसे उत्पादन केन्द्रों के लिए, जिनके पास 200/210/250 मेगावाट सैट और 500 मेगावाट और उससे ऊपर के सैट का संयोजन है, मानकीय सकल उत्पादन केन्द्र ताप दर, भारित औसत उत्पादन केन्द्र ताप दर होगी ।

(ख) तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र 3100 के सी ए एल /किलोवाट प्रति घंटा

(ग) ठंडा ताप ऊर्जा केन्द्र 3000 के सी ए एल /किलोवाट प्रति घंटा

(घ) लिग्ननाइट से चलने वाले तापीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

(1) कोयला आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों के लिए ऊपर खंड (iii) (क) के अधीन विनिर्दिष्ट सकल उत्पादन केन्द्र ताप की दरें नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के टी पी एस-I और टीपी एस-II (प्रक्रम 1 और 2) के सिवाय नीचे दिए गए गुणककारकों का उपयोग करते हुए, संशोधित की जाएगी :--

(i) 50% आर्द्रता वाली लिग्नाइट के लिए :1.10 का गुणनकारक ;

(ii) 40% आर्दता वाली लिग्नाइट के लिए : 1.07 गुणनकारक;

(iii) 30% आर्दता वाली लिग्नाइट के लिए : 1.04 गुणनकारक;

(iv) आर्द्रता अंतर्वस्तु के अन्य मूल्यों के लिए, गुणककारक उपरोक्त उप खंड (i) से खंड (iii) में दी गई अपनी अपनी रेंज के लिए गुणककारक के रेटेड मूल्यों पर निर्भर रहते हुए, 30-40 और 40-

50 की बीच की आर्द्रता अंतर्वस्तु हेतु अनुपात में निर्धारित की जाएगी ।

(2) नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के टी पी एस-I और टीपी एस-II :

टी पी एस - I 3900 के सी ए एल /किलोवाट प्रति घंटा

टी पी एस - II 2850 के सी ए एल /किलोवाट प्रति घंटा

(ङ) गैस टर्बाइन/संयुक्त आवर्तन ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र–

(i) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड के स्वामित्वाधीन विद्यमान उत्पादन केन्द्र

उत्पादन केन्द्र का नाम	संयुक्त आवर्तन (साइकिल) (के.सीएएल/किलोवाट प्रति घंटा	खुला आवर्तन (केसीएएल/किलोवाट प्रति घंटा
गंधार जीपीएस	2000	2900
कवास जीपीएस	2075	3010
अन्ता जीपीएस	2075	3010
दादरी जीपीएस	2075	3010
औरेया जीपीएस	2100	3045
फरीदाबाद जीपीएस	2000	2900
कयामकुलम जीपीएस	2000	2900

(ii) 1-4-2004 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादन केन्द्र

	उन्नत श्रेणी मशीन	**ई/ ईए/ ईसी/ ई2 श्रेणी मशीन**
खुला आवर्तन –	2685 केसीएएल/के डब्ल्यू एच	2830 केसीएएल/के डब्ल्यू एच

संयुक्त आवर्तन -- 1850 केसीएएल/केडब्ल्यू एच 1950 केसीएएल/के डब्ल्यू एच

(iii) लघु गैस टर्बाइन ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

(क) असम गैस आधारित ऊर्जा केन्द्र, कैथलगुड़ी

खुला आवर्तन -- 3225 केसीएएल/के डब्ल्यू एच

संयुक्त आवर्तन -- 2250 केसीएएल/के डब्ल्यू एच

(ख) अगरतला गैस आधारित ऊर्जा केन्द्र, रामचन्द्र नगर

खुला आवर्तन -- 3580 केसीएएल/के डब्ल्यू एच

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को छोड़कर

	प्राकृतिक गैस सहित	**द्रव ईंधन सहित**
खुला आवर्तन	--3125 केसीएएल/ डब्ल्यू एच	के 1.02x3125 केसीएएल/के डब्ल्यू एच
संयुक्त आवर्तन	--2030 केसीएएल/ डब्ल्यू एच	के 1.02x2030 केसीएएल/के डब्ल्यू एच

(iv) **गौण ईंधन तेल खपत**

(क) कोयला आधारित उत्पादन केन्द्र

(i) नीचे खंड (ii) और (iii) के अधीन आने वाले केन्द्रों के सिवाय सभी कोयला आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

स्थिरीकरण अवधि के दौरान	**पश्चात्वर्ती अवधि**
4.5 मि.ली./के डब्ल्यू एच	2.0 मि.ली./क्रे डब्ल्यू एच
(ii) तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र	3.5 मि.ली./के डब्ल्यू एच
(iii) ठंडा ताप ऊर्जा केन्द्र	3.5 मि.ली./के डब्ल्यू एच

(ख) लिग्नाइट आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

स्थिरीकरण अवधि	पश्चात्वर्ती अवधि
3.0 मि.ली./के डब्ल्यू एच	3.0 मि.ली./के डब्ल्यू एच

(v) अतिरिक्त ऊर्जा खपत

(क) कोयला आधारित उत्पादन केन्द्र

	शीतलन (कूलिंग) टावर सहित	**शीतलन (कूलिंग) टावर के बिना**
(i) 200 मेगावाट ॠंखला	9.0 %	8.5%
(ii) 500 मेगावाट ॠंखला		
भाप चालित बायलर फीड पम्प	7.5 %	7.0 %
विद्युत चालित बायलर फीड पम्प	9.0 प्रतिशत	8.5 प्रतिशत
(iii) तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र	11.0%	
(iv) ठंडा ताप ऊर्जा केन्द्र	11.0%	

(ख) गैस टर्बाइन / संयुक्त आवर्तन उत्पादन केन्द्र

(i) संयुक्त आवर्तन	3.0 %
(ii) खुला आवर्तन	1.0 %

(ग) लिग्नाइट आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

(i) नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के टी पी एस-I और टी पी एस-II (प्रक्रम I और II) के सिवाय सभी उत्पादन केन्द्र

~~उपरोक्त~~ खंड (v) (क) (i) और (ii) पर कोयला आधारित उत्पादन केन्द्र के (सहायक ऊर्जा खपत संनियम कोयला आधारित केन्द्रों के उपरोक्त अतिरिक्त ऊर्जा खपत संनियम से अधिक 0.5% होगी ।

(ii) नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के टी पी एस-I और टी पी एस-II प्रक्रम I और II

टी पी एस-I	12.0%
टी पी एस-II	10.0%

टिप्पण

स्थिरीकरण अवधि के दौरान, मानकीय अतिरिक्त खपत ऊपर खंड (क), (ख) और (ग) में उपदर्शित संनियमों से अधिक 0.5% तक मानी जाएगी ।

(vi) **स्थिरीकरण अवधि**

यूनिट के संबंध में, उस यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रारंभ होने वाली स्थिरीकरण अवधि निम्नानुसार मानी जाएगी,अर्थात्:—

(क) कोयला आधारित और लिग्नाइट चालित उत्पादन केन्द्र	180 दिन
(ख) गैस टर्बाइन/संयुक्त आवर्तन उत्पादन केन्द्र	90 दिन

टिप्पण

स्थिरीकरण अवधि और स्थिरीकरण अवधि के दौरान लागू शिथिल संनियम 1-4-2006 से लागू न होंगे ।

17. पूंजी लागत : आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के अधीन रहते हुए, परियोजना के पूरा होने पर उपगत वास्तविक व्यय अंतिम टैरिफ के अवधारण के आधार पर होगा । अंतिम टैरिफ उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक वास्तविक रूप से उपगत स्वीकृत पूंजी व्यय के आधार पर अवधारित किया जाएगा तथा इसमें अंतिम तारीख को मूल परियोजना लागत की प्रतिशतता के रूप में निम्नलिखित उच्चतम संनियमों के अधीन रहते हुए, पूंजीगत आरंभिक फालतू पुर्जे भी सम्मिलित है --

(i) कोयला आधारित लिग्नाइट उत्पादन केन्द्र	2.5%
(ii) गैस टर्बाइन संयुक्त आवर्तन उत्पादन केन्द्र	4.0%

परन्तु यह कि जहां ऊर्जा क्रय करार उत्पादन कंपनी के बीच हुआ हो और फायदाग्राही वास्तविक व्यय की उच्चतम सीमा प्रदान करते हों वहां पूंजी व्यय टैरिफ के अवधारण के लिए ऐसी सीमा से अधिक नहीं होगा ।

परन्तु यह और कि विद्यमान उत्पादन केन्द्रों की दशा में, 1-4-2004 से पूर्व आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत टैरिफ के अवधारण के आधार के रूप में होगी ।

टिप्पण

आयोग द्वारा प्राक्कलित परियोजना लागत की संवीक्षा, पूंजी लागत की यूक्तियुक्तता, वित्तीय योजना, संनिर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष, तकनीक का उपयोग, टैरिफ अवधारण के लिए ऐसे अन्य विषयों तक सीमित होगी ।

18. अतिरिक्त पूंजी--(1) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् अंतिम तारीख तक वास्तविक रूप से उपगत कार्य की मूल परिधि के भीतर निम्नलिखित पूंजी व्यय, प्रज्ञावान जांच के अधीन रहते हुए, आयोग द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा--

(i) आस्थगित दायित्व ;

(ii) निष्पादन के लिए संकर्म दायित्व ;

(iii) विनियम में विनिर्दिष्ट उत्पादक सीमा के अध्यधीन संकर्म की मूल परिधि में आरंभिक पूंजी, पुर्जो की उपाप्ति ।

(iv) माध्यस्थम् के पंचाट की पूरा करने या न्यायालय के आदेश या डिक्री का अनुपालन करने के लिए दायित्व ; और

(v) विधि में परिवर्तन के कारण :

परन्तु यह कि व्यय के प्राक्कलन के साथ साथ संकर्म के मूल विस्तार को अंनतिम टैरिफ के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा :

परन्तु यह और कि निष्पादन के लिए आस्थगित दायित्व और आस्थगित संकर्म की सूची उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् अंतिम टैरिफ के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा :

(2) इन विनियमों के खंड (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम तारीख के पश्चात् वास्तविक रूप से उपगत निम्नलिखित प्रकृति के पूंजी व्यय को प्रज्ञावान जांच के अधीन रहते हुए, आयोग द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा--

(i) कार्य के मूल विस्तार के भीतर संकर्म/सेवाओं के संबंध में आस्थगित दायित्व ;

(ii) माध्यस्थम् के पंचाट को पूरा करने या न्यायालय के आदेश या डिक्री का अनुपालन करने के दायित्व ;

(iii) विधि में परिवर्तन के कारण ;

(iv) कोई ऐसे अतिरिक्त संकर्म/सेवाएं जो उत्पादन केन्द्र के दक्ष और सफलतापूर्वक प्रचालन के लिए आवश्यवक हों किन्तु इसमें मूल परियोजना लागत सम्मिलित नहीं है ; और

(v) कार्य के मूल विस्तार में राख की ढेर या राख की उठाई-धराई प्रणाली से संबंधित संकर्म ।

(3) अंतिम तारीख के पश्चात् लाए गए सामान्य औजार और टेकल, कंप्यूटर, फर्नीचर, वातानुकूलक, वोल्टता स्थिरीकरण, रेफ्रीजरेटर, पंखे, कूलर, टी वी, वाशिंग मशीन, हीट कन्वर्टर्स कारपेट, चटाई आदि जैसे छोटी छोटी मद्दे/आस्तियों संबंधी व्यय पर उपगत किसी भी व्यय पर 1-4-2004 से टैरिफ के अवधारण के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए विचार किया जाएगा ।

टिप्पण

मदों की सूची दृष्टांत स्वरूप है किन्तु सुविस्तृत नहीं है ।

(4) टैरिफ पुनरीक्षण में अतिरिक्त पूंजीकरण के प्रभाव पर आयोग द्वारा टैरिफ अवधि में दो बार विचार किया जा सकेगा जिसमें अंतिम तारीख के पश्चात् टैरिफ का पुनरीक्षण भी सम्मिलित है ।

टिप्पण 1

कार्य की मूल परिधि के भीतर किए गए दायित्व के कारण स्वीकृत कोई भी व्यय और तकनीकी-आर्थिक आधारों पर आस्थगित व्यय को, किन्तु जो कार्य की मूल परिधि के भीतर आते हों, विनियम 20 में उपदर्शित रीति से आए हुए मानकीय ऋण-ईक्विटी अनुपात में वितरित किया जाएगा ।

टिप्पण 2

पुरानी आस्तियों के प्रतिस्थापन संबंधी किसी भी व्यय पर ऐसे मदों के सिवा, जो इस विनियम के खंड (3) में सूचीबद्ध हैं, मूल परियोजना लागत से मूल आस्तियों के संपूर्ण मूल्य को अपलिखित करने के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

टिप्पण

नए संकर्म के कारण न कि कार्य की मूल परिधियों में, टैरिफ के अवधारण के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत किसी भी व्यय को विनियम 20 में यथा उपदर्शित मानकीय ऋण ईक्विटी अनुपात में वितरित किया जाएगा ।

टिप्पण 4

टैरिफ के अवधारण के लिए आयोग द्वारा नवीकरण और आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तारण पर स्वीकृत कोई व्यय मूल पूंजी लागत से प्रतिस्थापित आस्तियों की मूल रकम को अपलिखित करने के पश्चात् विनियम 20 में यथा विनिर्दिष्ट मानकीय ऋण ईक्विटी अनुपात में वितरित किया जाएगा ।

19. इन्फर्म ऊर्जा का विक्रय--किसी उत्पादन कंपनी द्वारा इन्फर्म ऊर्जा के विक्रय से अर्जित किसी भी राजस्व (ईंधन लागत बसूली को छोड़कर) को पूंजी लागत में कमी के रूप में माना जाएगा और राजस्व के रूप में नहीं समझा जाएगा ।

20. ऋण-ईक्विटी अनुपात--(1) सभी उत्पादन केन्द्रों की दशा में, टैरिफ के अवधारण के प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को ऋण ईक्विटी अनुपात 70:30 होगा । जहां ईक्विटी 30% से अधिक लगाई गई है वहां टैरिफ के अवधारण के लिए ईक्विटी की रकम 30% से तक सीमित होगी और शेष रकम को मानकीय ऋण के रूप में माना जाएगा ।

परन्तु यह कि उत्पादन केन्द्र की दशा में, जहां लगाई गई वास्तविक ईक्विटी 30% से कम है, वहां वास्तविक ऋण और ईक्विटी को टैरिफ के अवधारण के लिए माना जाएगा ।

(2) खंड (i) के अनुसार प्राप्त ऋण और ईक्विटी की रकम खंड का उपयोग ऋण पर ब्याज, ईक्विटी पर रिटर्न, अवक्षयण के लिए अग्रिम और विदेशी मुद्रा विनियम दर अंतर की संगणना करने के लिए किया जाएगा ।

21. **क्षमता (नियत) प्रभारों की संगणना :** (1) क्षमता प्रभार निम्नलिखित आधार पर संगणित किए जाएंगे और उनकी बसूली लक्ष्य उपलब्धता से संबंधित होगी--

(i) **ऋण पूंजी पर ब्याज**

(क) ऋण पूंजी पर ब्याज प्रतिसंदाय की अनुसूची और वास्तविक ब्याज दर पर सम्यक् रूप से ध्यान रखते हुए विनियम 20 में उपदर्शित रीति से प्राप्त बकाया ऋण पर ऋण-वार संगणित किया जाएगा ।

(ख) 1-4-2004 को बकाया ऋण विनियम 20 के अनुसार कुल ऋण और 31-3-2004 तक आयोग द्वारा यथास्वीकृत संचयी प्रतिसंदाय होगा । 2004-09 की अवधि के लिए प्रतिसंदाय मानकीय आधार पर होगा ।

(ग) उत्पादन कंपनी [illegible]प करने का हर प्रयास करेगी । यदि फायदाग्राहियों को उसका शु[illegible] हो और ऐसे स्वैपिंग से सहबद्ध लगाव फायदाग्राहियों द्वारा वहन की जाएगी ।

(घ) ऋण के निबंधनों और शर्तों में परिवर्तन को ऐसे स्वैपिग की तारीख से परिवर्तित किया जाएगा तथा फायदाग्राहियों को इसकोफायदा दिया जाएगा ;

(ङ) किसी भी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार समुचित आवेदन के साथ आयोग के पास आ सकेगा । तथापि, फायदाग्राही ऐसे किसी संदाय को नहीं रोकेंगे जिसका आदेश ऋण के स्वैपिंग से संबंधित किसी भी विवाद के लंबित रहने के दौरान उत्पादन कंपनियों को आयोग द्वारा दिया गया हो ;

(च) यदि उत्पादन कंपनियों द्वारा विलंबनाधीन अवधि प्राप्त की जाती है तो विलंबनाधीन अवधि के दौरान टैरिफ के लिए उपबंधित अवक्षयण को उन वर्षों के दौरान प्रतिसंदाय के रूप में माना जाएगा और पूंजी ऋण पर ब्याज को तद्नुसार संगणित किया जाएगा ;

(ज) उत्पादन कंपनी ऋण की स्वैपिंग ऋण पर ब्याज द्वारा कोई भी लाभ नहीं कमाएंगे ।

(ii) **अवक्षयण, जिसमें अवक्षयण के लिए अग्रिम है :**

(क) **अवक्षयण :**

टैरिफ के प्रयोजन के लिए, अवक्षयण निम्नलिखित रीति से संगणित किया जाएगा, अर्थात् :–

(i) अवक्षयण के प्रयोजन के लिए आधार मूल्य आस्ति का ऐतिहासिक मूल्य होगा ;

(ii) अवक्षयण इन विनियमों के परिशिष्ट 2 में विहित आस्तियों और दरों के संपूर्ण उपयोग पर सीधी पद्धति के आधार पर वार्षिक रूप से संगणित किया जाएगा ।

आस्तियों का अवशिष्ट माल 10% के रूप में माना जाएगा और अवक्षयण आस्ति की ऐतिहासिक पूंजी लागत के अधिकतम 90% तक अनुज्ञात किया जाएगा । भूमि अवक्षयणीय आस्ति नहीं है इसकी लागत की आस्ति भी ऐतिहासिकलागत की 90% की संगणना करते समय पूंजी लागत से अपवर्जित किया जाएगा । आस्ति के ऐतिहासिक पूंजी लागत में केन्द्रीय सरकार/आयोग द्वारा पहले ही अनुज्ञात 31-3-2004 तक विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण सम्मिलित है ।

(iii) संपूर्ण ऋण के प्रतिसंदाय पर शेष अवक्षयणीय मूल्य आस्ति के अतिशेष उपयोगी काल पर आंका जाएगा ।

(iv) अवक्षयण प्रचालन के पहले वर्ष से प्रभार्य होगा । वर्ष के शेष भाग के लिए आस्ति के प्रचालन की दशा में, अवक्षयण आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाएगा ।

(ख) **अवक्षयण के लिए अग्रिम**

अनुज्ञेय अवक्षण के अतिरिक्त, उत्पादन कंपनी निम्नलिखित रीति से संगणित अवक्षयण के लिए अग्रिम की हकदार होगी :–

ए ए डी = अनुसूची के अनुसार ऋण रकम के 1/10 की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए विनियम 21(i) के अनुसार ऋण प्रतिसंदाय रकम और विनियम 20 के अनुसार अवक्षयण :

परन्तु यह कि अवक्षयण के लिए अग्रिम केवल तब अनुज्ञात किया जाएगा यदि विशिष्ट वर्ष तक संचयी संदाय उस वर्ष तक संचयी अवक्षयण से अधिक होता है :

परन्तु यह और कि अवक्षयण के लिए अग्रिम उस विशिष्ट वर्ष तक संचयी प्रतिसंदाय और संचयी अवक्षयण के बीच मतभेद तक सीमित होगा ।

(iii) **ईक्विटी पर रिटर्न**

ईक्विटी पर रिटर्न 14% प्रतिवर्ष की दर से विनियम 20 के अनुसार अवधारित ईक्विटी आधार पर संगणित किया जाएगा :

परन्तु यह कि विदेशी मुद्रा में विनिहित ईक्विटी पर उसी मुद्रा में विहित सीमा के लिए रिटर्न अनुज्ञात किया जाएगा और इस मद्दे संदाय, बिलिंग की देय तारीख पर विद्यमान विनिमय दर पर आधारित भारतीय रुपए में किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण

परियोजना के वित्त पोषण के लिए, विद्यमान उत्पादन कंपनी, यदि कोई हो, की मुक्त आरक्षिति से सृजित किए गए शेयर पूंजी जारी और आंतरिक संसाधनों में विनिधान करते समय उत्पादन कंपनी द्वारा जुटाए गए प्रीमियम की ईक्विटी पर रिटर्न की संगणना करने के प्रयोजन के लिए समादत्त पूंजी के रूप में भी गणना की जाएगी परन्तु ऐसी प्रीमियम रकम और आंतरिक संसाधन का उत्पादन केंद्र के पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए वास्तविक रूप से उपयोग किया गया है और वे अनुमोदित वित्तीय पैकेज के भाग रूप हों ।

(iv) **प्रचालन और रखरखाव संबंधी व्यय**

मानकीय प्रचालन और रखरखाव संबंधी व्यय निम्नलिखित रूप में होंगे--

(क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र और तांडा ताप ऊर्जा केन्द्र के सिवाय कोयला आधारित उत्पादन केन्द्र

(रुपए लाख में/मेगावाट)

वर्ष	200/210/250 मेगावाट सेट	500 मेगावाट और उससे ऊपर के सेट
2004-05	10.40	9.36
2005-06	10.82	9.73
2006-07	11.25	10.12
2007-08	11.70	10.52
2008-09	12.17	10.95

टिप्पण

ऐसे उत्पादन केन्द्र, जिनके पास 200/210/250 मेगावाट सेट और 500 मेगावाट और उससे ऊपर के सेट का संयोजन है, के लिए प्रचालन और रखरखाव व्यय के लिए भारित औसत मूल्य स्वीकार किया जाएगा ।

(ख) (i) तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र

वर्ष 2000-01 के लिए आधार प्रचालन और रखरखाव व्यय, जिसमें बीमा भी है, आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच किए जाने के पश्चात् संपरीक्षित तुलनपत्र, जिसमें प्रसामान्य प्रचलन और रखरखाव व्यय नहीं है, पर आधारित वर्ष 1998-99 से 20-2-2003 के लिए वास्तविक प्रचालन के और रखरखाव खर्चों की औसत निकालकर व्युत्पन्न किए जाएंगे ।

वर्ष 2000-01 के लिए प्रचालन और रखरखाव व्ययों के रूप में माने गए वर्ष 1998-99 से 2002-03 के लिए, प्रज्ञावान जांच के पश्चात् ऐसे प्रसामान्य प्रचालन और रखरखाव व्यय के औसत में आधार वर्ष 2003-04 के लिए प्रचालन और रखरखाव व्यय के लिए प्रतिवर्ष 4% की दर से वृद्धि की जाएगी ।

वर्ष 2003-04 के लिए आधार प्रचालन और रखरखाव व्ययों में टैरिफ अवधि के सुसंगत वर्ष के लिए अनुज्ञेय प्रचालन और रखरखाव व्ययों पर 4% प्रतिवर्ष की दर से और वृद्धि की जाएगी ।

(ii) **ठंडा ताप ऊर्जा केन्द्र**

वर्ष 2001-02 के लिए आधार प्रचालन और रखरखाव व्यय, जिसमें बीमा भी है, आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच किए जाने के पश्चात् संपरीक्षित तुलनपत्र, जिसमें प्रसामान्य प्रचालन और रखरखाव व्यय नहीं हैं, पर आधारित वर्ष 2000-01 से 2002-03 के लिए वास्तविक प्रचालन और रखरखाव खर्चों की औसत निकालकर व्युत्पन्न किया जाएगा ।

वर्ष 2000-01 के लिए प्रचालन और रखरखाव व्ययों के रूप में माने गए वर्ष 1998-99 से 2002-03 के लिए, प्रज्ञावान जांच के पश्चात् ऐसे प्रसामान्य प्रचालन और रखरखाव व्यय के औसत में आधार वर्ष 2003-04 के लिए प्रचालन और रखरखाव व्यय के लिए प्रतिवर्ष 4% की दर से वृद्धि की जाएगी ।

वर्ष 2003-04 के लिए आधार प्रचालन और रखरखाव व्ययों में टैरिफ अवधि के सुसंगत वर्ष के लिए अनुज्ञेय प्रचालन और रखरखाव व्ययों पर 4% प्रतिवर्ष की दर से और वृद्धि की जाएगी ।

(ग) गैस टर्बाइन/संयुक्त आवर्तन उत्पादन केन्द्र

(रुपए लाख में/मेगावाट)

वर्ष	लघु गैस टर्बाइन ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों से भिन्न गैस गैस टर्बाइन/संयुक्त आवर्तन उत्पादन केन्द्र		लघु गैस टर्बाइन ऊर्जा उत्पादन केन्द्र
2004-05	5.20	7.80	9.46
2005-06	5.41	8.11	9.84
2006-07	5.62	8.44	10.24
2007-08	5.85	8.77	10.65
2008-09	6.08	9.12	11.07

(घ) **लिग्नाइट आधारित उत्पादन केन्द्र**

(रुपए लाख में/मेगावाट)

वर्ष	200/210/ 250 मेगावाट सिरीज	टी पी एस-I आफ एन एल सी
2004-05	10.40	15.20
2005-06	10.82	15.81
2006-07	11.25	16.44
2007-08	11.70	17.10
2008-09	12.17	17.48

(v) **कार्यकरण पूंजी पर ब्याज**

(क) कार्यकरण पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होगा--

कोयला आधारित/लिग्नाइट चालित उत्पादन केन्द्र

(i) पीट शीर्ष उत्पादन केन्द्र के लिए 1½ मास हेतु लिए और "लक्ष्य उपलब्धता" के तत्स्थानी गैर-पीटशीर्ष उत्पादन केन्द्र के एक मास हेतु कोयला और लिग्नाइट स्टाक की लागत ;

(ii) लक्ष्य उपलब्धता के तत्स्थानी दो मास के लिए गौण ईंधन तेल की लागत ;

(iii) एक मास के लिए प्रचालन और रखरखाव व्यय ;

(iv) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रतिवर्ष 6% की दर से बढ़ाई गई ऐतिहासिक लागत के 1% की दर से स्पेयर का रखरखाव ; और

(v) लक्ष्य उपलब्धता पर संगणित विद्युत के विक्रय के लिए नियत और परिवर्तनीय प्रभारों के दो मास के समतुल्य प्राप्य ।

गैस टर्बाइन/संयुक्त आवर्तन उत्पादन केन्द्र

(i) गैस ईंधन और द्रव ईंधन संबंधी उत्पादन केन्द्र के प्रचालन की पद्धति पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए, लक्ष्य उपलब्धता के तत्स्थानी एक मास के लिए ईंधन लागत ;

(ii) 1/2 मास के लिए द्रव ईंधन स्टाक ;

(iii) एक मास के लिए प्रचालन और रखरखाव व्यय ;

(iv) वाणिज्यिक प्राचलन की तारीख से 6% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ाई गई ऐतिहासिक लागत के 1% पर स्पेयर का रखरखाव ; और

(v) लक्ष्य उपलब्धता पर संगणित विद्युत के विक्रय के लिए नियत और परिवर्तनीय प्रभारों के दो मास के समतुल्य प्राप्य ।

(ख) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज की दर मानकीय आधार पर होगी और 1-4-2004 को या उस वर्ष, जिसमें उत्पादन केन्द्र या उसका यूनिट वाणिज्यिक उत्पादन के अंतर्गत घोषित किया जाता है, के 1 अप्रैल को, जो भी बाद में हो, भारतीय स्टेट बैंक की लघु कालिक ऋण दर के बराबर होगी ।

इस बात के होते हुए भी कि उत्पादन कंपनी ने किसी बाहरी अभिकरण से कार्यकरण पूंजी ऋण नहीं लिया है, कार्यकरण पूंजी पर ब्याज मानकीय आधार पर संदेय होगा ।

(2) पूर्ण क्षमता प्रभार विनियम 16 में विनिर्दिष्ट लक्ष्य उपलब्धता पर बसूलनीय होंगे । लक्ष्य उपलब्धता के स्तर से निम्न क्षमता (नियत) प्रभारों की बसूली आनुपातिक आधार पर की जाएगी । शून्य उपलब्धता पर, कोई क्षमता प्रभार संदेय नहीं होगा ।

(3) क्षमता प्रभारों का संदाय आबंटित क्षमता के अनुपात में मासिक आधार पर किया जाएगा ।

22. ऊर्जा प्रभार

(i) ए.बी.टी के अंतर्गत आने वाले उत्पादन केन्द्र--

ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों में ईंधन लागत सम्मिलित होगी और निम्न सूत्र के

अनुसार, उत्पादन केन्द्र से बाहर भेजे जाने के लिए अनुसूचित एक्स-बस ऊर्जा पर प्रति पैसे किलोवाट घंटा के आधार पर निकाली जाएगी--

ऊर्जा प्रभार (रुपए) = अनुसूचित उत्पादन की तत्स्थानी के डब्लू एच मं मास के लिए रुपए/के डब्ल्यू एच x अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) में ऊर्जा प्रभारों की दर

(ii) ए.बी.टी के अंतर्गत न आने वाले उत्पादन केन्द्र

ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों में ईंधन लागत सम्मिलित होगी और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार, केन्द्र के लिए अनुसूचित उत्पादन के तत्स्थानी मास के लिए कुल अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) के आधार पर निकाली जाएगी :

ऊर्जा प्रभार (रुपए में) = ऊर्जा प्रभार की दर के डब्ल्यू एच में मास के लिए रुपए/के डब्ल्यू एच x परिदत्त ऊर्जा में प्रभारित ऊर्जा की दर

जहां ऊर्जा प्रभारों की दर (आर ई सी) रुपए/के डब्ल्यू एच में विद्युत की एक किलोवाट घंटा एक्स बस परिदत्त करने के लिए प्राथमिक और गौण ईंधन की मात्रा की लागत का योग होगी और निम्नानुसार संगणित की जाएगी :

$$\text{आर ई सी} : \frac{100\{ \text{पी}_{\text{पी}} \text{ x } (\text{क्यू}_{\text{पी}})_{\text{एन}} + \text{पी}_{\text{एस}} \text{ x } (\text{क्यू}_{\text{एस}})_{\text{एन}} \}}{(100 - (\text{एयूएक्स}_{\text{एन}}))} \quad \text{(रु0/के डब्ल्यू एच}$$

जहां,—

पी$_{\text{पी}}$ = प्राथमिक ईंधन अर्थात्, यथास्थिति, रुपए/ कि.ग्रा. या रुपए/क्यूम या रुपए/ लिटर में कोयला या लिग्नाइट या गैस या नाफ्था की कीमत

(क्यू $_{\text{पी}}$)$_{\text{एन}}$ = यथास्थिति, किलोग्राम या लिटर या क्यूम में उत्पादन टर्मिनलों पर एक किलोवाट घंटा विद्युत के उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रारंभिक ईंधन की मात्रा, और इसकी संगणना मानकीय कुल उत्पादन केन्द्र ताप दर (कोयला/ लिग्नाइट

आधारित उत्पादन केन्द्रों के लिए गौण ईंधन तेल द्वारा अभिदायी कम ताप) और कायला / लिग्नाइट या गैस या नाफ्था से प्रचालित कुल क्लोरोफिक मूल्य के आधार पर की जाएगी ।

पी $_{एस}$ = रुपए/मि.लीटर में गौण ईंधन तेल की कामत ।

(क्यू $_{एस}$) $_{एन}$ = यथास्थिति, खंड 16 (iv) के अनुसार एम एल/केडब्ल्यूएच गौण ईंधन तेल की मानकीय मात्रा ।

एयूएक्स $_{एन}$ = यथास्थिति, खंड 16 (v) के अनुसार कुल उत्पादन के % के रूप में मानकीय सहायक ऊर्जा उपभोग ।

(iii) **ईंधन की कीमत या ताप मूल्य में परिवर्तन के कारण ऊर्जा प्रभार की दर का समायोजन**

प्रारंभिक रूप से कोयला/लिग्नाइट या गैस या द्रव ईंधन कुल सकल ऊष्मीय मूल्य पूर्ववर्ती तीस मास में वास्तविक के अनुसार निकाला जाएगा । कोई भी परिवर्तन मासिक आधार पर प्राप्त या प्रज्जवलित कोयले/लिग्नाइट या गैस या द्रव ईंधन के कुल उष्मीय मूल्य या यथास्थिति, कोयला/लिग्नाइट, तेल या गैस या द्रव ईंधन की उपाप्ति के लिए उत्पादन कंपनी द्वारा उपगत वास्तविक लागत के आधार पर समायोजित किया जाएगा । ईंधन कीमत के समायोजन के लिए आयोग के समक्ष कोई पृथक् याचिका फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी । किसी भी विवाद की दशा में, समय-समय पर, यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999 या उसकी किसी कानूनी पुनः अधिनियमिति के अनुसार आयोग के समक्ष उचित आवेदन फाइल किया जाएगा ।

(iv) **कोयले की भूमिगत लागत**

कोयलो की भूमिगत लागत में, यथा लागू स्वामिस्व, कर और शुल्क, रेल/सड.क या किसी अन्य साधन द्वारा परिवहन सहित कोयले की श्रेणी/क्वालिटी की तत्स्थानी कोयले की कीमत सम्मिलित होगी और ऊर्जा प्रभारों की संगणना

करने के प्रयोजन के लिए, कोयले की वास्तविक लागत निम्नलिखित के अनुसार मास के दौरान कोयला प्रदाय करने वाली कंपनी द्वारा भेजे गए कोयले की मात्रा की प्रतिशतता के अनुसार मानकीय मार्ग या उठाई-धराई हानियों पर विचार करने के पश्चात् तय की जाएगी

पिट शीर्ष उत्पादन केन्द्र	:	0.3 %
गैर पिट शीर्ष उत्पादन केन्द्र	:	0.8%

23. प्रोत्साहन--प्रोत्साहन लक्ष्य संयंत्र भार फैक्टर के तत्स्थानी एक्स-बस ऊर्जा की अधिकता में अनुसूचित उत्पादन के तत्स्थानी एक्स-बस अनुसूचित ऊर्जा के लिए 25.0 पैसा/कि.वाट प्रतिघंटा की सपाट दर पर संदेय होगा ।

24. अननुसूचित विनिमय (यू.आई) प्रभार--(1) वास्तविक उत्पादन या वास्तविक निकासी या अनुसूचित उत्पादन या निकासी के बीच होने वाले अंतर की संगणना अननुसूचित विनिमय (यू.आई) प्रभार के माध्यम से की जाएंगी । उत्पादन केन्द्र के लिए यू.आई इसके वास्तविक उत्पादन के बराबर होगा या इसके अनुसूचित उत्पादन से कम होगा । फायदाग्राही के लिए यू.आई इसकी कुल वास्तविक निकासी के बराबर होगा या इसकी कुल अनुसूचित निकासी से कम होगा । यू.आई प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लाक के लिए निकाला जाएगा । सभी यू. आई. संव्यवहारों के लिए प्रभार समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी के आधार पर होंगे तथा 1-4-2004 से निम्नलिखित दरें लागू होंगी :

समय ब्लाकों की औसत फ्रिक्वेंसी	**यू.आई दर (पैसे प्रति किलो वाट घंटा)**
50.5 एच ज्येड और उससे ऊपर	0.0
50.5 एच ज्येड से नीचे और 50.48 एच ज्येड तक	8.0
49.04 एच ज्येड से नीचे और 49.02 एच ज्येड तक	592.0
49.02 एच ज्येड से नीचे	600.0
50.5 एच ज्येड और 49.02 एच ज्येड के नीचे	0.02 एच ज्येड स्टेप में लिनियर

(प्रत्येक 0.02 एच.जेड स्टेप उपरोक्त रेंज के भीतर 8.00 पैसे/के डब्ल्यू एच के समकक्ष होगा।)

टिप्पण--उपरोक्त औसत फ्रिक्वेंसी रेंज और यू.आई दरें आयोग द्वारा समय-समय पर पृथक् अधिसूचना के माध्यम से किए गए परिवर्तन के अधीन रहते हुए होंगी ।

(2) (i) 15 मिनट के किसी भी समय ब्लाक में घोषित क्षमता के 105% तक और संपूर्ण दिन की औसत घोषित क्षमता 101% तक औसत तक किसी भी उत्पादन को गेमिंग के रूप में समझा जाएगा और उत्पादक अनुसूचित उत्पादन से ऊपर ऐसे अधिक उत्पादन के लिए यू.आई. प्रभार का हकदार होगा ।

(ii) विहित सीमा के बाद किसी भी उत्पादन के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र अन्वेषण करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यहां कोई गेमिंग नहीं है और यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कोई गेमिंग पाई जाती है तो ऐसे अतिरिक्त उत्पादन के कारण उत्पादन केन्द्र को देय ततस्थानी यू.आई प्रभारों पर शून्य तक की कमी की जाएगी और रकम उत्पादन केन्द्र में उनकी क्षमता की हिस्सेदारी के अनुपात में फायदाग्राहियों के यू.आई खाते में समायोजित की जाएगी ।

25. रिबेट : निरुपण पर प्रत्ययपत्र के माध्यम से क्षमता प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों के बिलों के संदाय के लिए, 2% की रिबेट अनुज्ञात की जाएगी । यदि संदाय प्रत्यय-पत्र से भिन्न रीति से किन्तु उत्पादन कंपनी द्वारा बिलों को प्रस्तुत किए जाने के एक मास के भीतर किया किया जाता है तो 1% की रिबेट अनुज्ञात की जाएगी ।

26. विलंब से संदाय करने पर अधिभार : यदि फायदाग्राहियों द्वारा क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार के बिलों का संदाय करने में बिलिंग की तारीख से 1 मास की अवधि के बाद विलंब किया जाता है तो उत्पादन कंपनी द्वारा 1.25% की दर से प्रतिमास विलंब संदाय अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा ।

27. अनुसूची तैयार करना : भारतीय विद्युत ग्रिड के उपबंधों के साथ पठित, अनुसूची तैयार करने की पद्धति और संगणित उपलब्धता की पद्धति निम्नानुसार होगी :

(i) उत्पादक अपने उत्पादन केन्द्र क्षमता की अग्रिम घोषणा करेगा । यह घोषणा उस क्षमता के लिए की जाएगी जिसे वास्तव में उपलब्ध कराया जा सकता है ;

घोषणा अगले दिन के लिए या तो संपूर्ण दिन के लिए एक अंक में या दिन की विभिन्न अवधि के लिए विभिन्न अंकों के रूप में परिदत्त एक्स-बस मेगावाट के लिए उत्पादन केन्द्र की क्षमता के लिए होगी ।

घोषित क्षमता के रूप में निर्दिष्ट उत्पादक द्वारा यथाघोषित क्षमता उत्पादन अनुसूचीकरण के रूप में होगी ।

(ii) क्षमता की घोषणा या उसे पुनरीक्षित करते समय, उत्पादक यह सुनिश्चित करेगा कि घोषित क्षमता व्यस्ततम समय की के दौरान अन्य समय की तुलना में कम नहीं होगी । तथापि, यूनिटों के बलपूर्वक आऊटेज के परिणामस्वरूप, यूनिट के ट्रिप करने/पुनः समक्रमण की दशा में, इस नियम के लिए अपवाद को अनुज्ञात किया जाएगा ;

(iii) उत्पादन अनुसूची भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में यथा अनुबद्ध प्रचालन संबंधी प्रक्रिया के अनुसार तैयार की जाएगी ;

(iv) उत्पादक की घोषणा के आधार पर, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र फायदाग्राहियों को अपने ऐसे शेयरों की सूचना देंगे जिसमें से वे अपनी अध्यपेक्षा करेंगे ;

(v) फायदाग्राहियों द्वारा की गई अध्यपेक्षा के आधार पर और उत्पादन में कोई फेरफार करने पर तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए तथा पारेषण प्रणाली संबंध कठिनाईयों, यदि कोई हो पर ध्यान देते हुए, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र किफायती उत्पादन अनुसूची तथा निकासी अनुसूची को तैयार करेगा और उसकी सूचना उत्पादक तथा फायदाग्राहियों को देगा ;

प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र दीर्घकालीन और अल्पकालीन (दैनिक अनुसूची) दोनों आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रक्रिया भी तैयार करेगा ;

(vi) अनुसूचित उत्पादन और वास्तविक, उत्पादन केन्द्र पर एक्स-बस होगा । फायदाग्राहियों के लिए, अनुसूचित और वास्तविक शुद्ध निकासी उनके अपने-अपने प्राप्त करने वाले स्थानों पर होगी ।

(vii) फायदाग्राहियों की शुद्ध निकासी अनुसूची की संगणना करने के लिए, पारेषण हानियों को उनकी निकासी अनुसची में विभाजित किया जाएगा :

परन्तु यह कि परिमार्जिन अपने-अपने प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की तैयारी पर भविष्य में निर्भर करते हुए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(viii) यूनिट के बल लोप की दशा में, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र पुनरीक्षित घोषित क्षमता के आधार पर अनुसूची को पुनरीक्षित करेगा । पुनरीक्षित घोषित क्षमता और पुनरीक्षित अनुसूची ऐसे समय ब्लाक की, जिसमें उत्पादक द्वारा पुनरीक्षण करने की एक बार सलाह दी जाती है, गणना करते हुए चौथे समय ब्लाक से प्रभावी होगी ।

(ix) यदि पारेषण प्रणाली, सहबद्ध स्विचयार्ड और केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथाप्रमाणित) के स्वामित्वाधीन उपकेन्द्रों में कोई कठिनाई, लोप, असफलता या बाधा आने के कारण ऊर्जा के निष्क्रमण की दशा में, उत्पादन में कमी करना आवश्यक हो जाए तो प्रादेशिक प्रेषण केन्द्र अनुसूची को पुनरीक्षित करेंगे जो कि चौथे समयखंड से प्रभावी होगी और इसकी गणना उस समय खंड से की जाएगी जिसमें विद्युत में बाधा आएगी । ऐसे पहले, दूसरे और तीसरे समय ब्लाकों की दशा में भी, उत्पादन केन्द्र के अनुसूचित उत्पादन को वास्तविक उत्पादन के बराबर किए जाने के लिए पुनरीक्षित किया गया समझा जाएगा और फायदाग्राहियों की अनुसूचित निकासी को भी उनकी वास्तविक निकासी के बराबर किए जाने के लिए पुनरीक्षित किया गया समझा जाएगा ।

(x) किसी भी ग्रिड में बाधा आने की दशा में, सभी उत्पादन केन्द्रों का अनुसूचित उत्पादन और सभी फायदाग्राहियों की अनुसूचित निकासी ग्रिड में बाधा आने से प्रभावित सभी समय ब्लाकों के लिए वास्तविक उत्पादन/निकासी के बराबर किए जाने के लिए संशोधित की जाएगी । ग्रिड बाधा और उसकी अवधि का प्रमाणन प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिया जाएगा ।

(xi) उत्पादक (उत्पादकों) द्वारा घोषित क्षमता के पुनरीक्षण और उस दिन की शेष अवधि के लिए फायदाग्राहियों की अध्यपेक्षा को अग्रिम में सूचना द्वारा भी अनुज्ञात किया जाएगा । ऐसे मामलों में, पुनरीक्षित अनुसूची घोषित क्षमता चौथे समय ब्लाक से प्रभावी हो जाएगी जिनकी गणना ऐसे समय ब्लाक में की जाएगी जिसमें प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को एक बार पुनरीक्षण का अनुरोध प्राप्त हो गया हो ।

(xii) यदि किसी भी समय, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को यह प्रतीत होता है कि उचित प्रणाली प्रचालन के हित में अनुसूची का पुनरीक्षित करना आवश्यक है तो वह स्वयं ऐसा कर सकता है और ऐसे मामलों में, पुनरीक्षित अनुसूची ऐसे चौथे समय ब्लाक से प्रभावी हो जाएगी जिसकी गणना ऐसे समय ब्लाक में की जाएगी जिसमें प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा एक बार पुनरीक्षित अनुसूची जारी की जाती है ।

(xiii) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी/पुनरीक्षित की गई उत्पादन अनुसूची और निकासी अनुसूची संचार सफलता को ध्यान में लाए बिना, अभिहित समय ब्लाक से प्रभावी हो जाएगी ।

(xiv) अनुसूचित उत्पादन के पुनरीक्षण, जिसमें कार्योत्तर किया जाने वाला पुनरीक्षण भी सम्मिलित है, के लिए फायदाग्राहियों की अनुसूचित निकासी का तत्स्थानी पुनरीक्षण किया जाएगा ।

(xv) समय मान पर सम्यक् रूप से ध्यान रखते हुए, अनुसूची में परिवर्तन करने के संबंध में, संचार को अभिलिखित करने की प्रक्रिया केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा तैयार की जाएगी ।

टिप्पण

यदि उत्पादन केन्द्र केवल उस राज्य में, जिसमें वह अवस्थित है, ऊर्जा प्रदाय करने की संविदा करता है तो अनुसूचीकरण, मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन अपने-अपने राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाएगा ।

28. <u>घोषित क्षमता का प्रदर्शन</u> : (1) उत्पादन कंपनी से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह उस क्षेत्र, जिसमें उत्पादन केन्द्र अवस्थित है, के प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कभी भी प्रदर्शन करने के लिए कहने पर उत्पादन केन्द्र की घोषित क्षमता का प्रदर्शन करेगा । यदि उत्पादन कंपनी का घोषित क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल रहती है तो जनरेटर के कारण क्षमता प्रभारों में, शास्ति के रूप में कमी की जाएगी ।

(2) एक दिन में किसी अवधि/ब्लाक के लिए पहली गलत घोषणा हेतु शास्ति की मात्रा तत्स्थानी दो दिनों के नियत प्रभारों के रूप में प्रभारित की जाएगी । दूसरी गलत घोषणा के लिए शास्ति चार दिनों के लिए नियत प्रभारों के बराबर होगी और पश्चात्वर्ती गलत घोषणा के लिए, शास्ति ज्यामीतीय क्रम में गुणात्मक रूप में होगी ।

(3) उत्पादन केन्द्र की प्रचालन लॉग पुस्तिका, यथास्थिति, प्रादेशिक विद्युत बोर्ड या प्रादेशिक ऊर्जा समिति के पुनर्विलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी । इस पुस्तिका में मशीन प्रचालन और उनके रखरखाव का अभिलेख रखा जाएगा ।

29. मीटरिंग और लेखाकंन :-मीटर की व्यवस्था, जिसमें संस्थापन परीक्षण और प्रचालन भी सम्मिलित है, तथा मीटरों का रखरखाव और संग्रहण परिवहन तथा ऊर्जा एक्सचेजों और 15 मिनट के समय ब्लाक के आधार पर औसत फ्रिक्वेंसी के लेखांकन के लिए अपेक्षित आंकड़ों का प्रक्रमण केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता/प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा प्रदान रखा जाएगा । सभी संबंधित उपयोगिताएं (जिनके परिसरों में विशेष ऊर्जा मीटर लगाए गए हैं) केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता/प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के साथ पूर्ण सहयोग करेंगी और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों को साप्ताहिक मीटर की रीडिंग लेने और उनको देने में सहायता प्रदान करेंगी । विद्युत और यू.आई प्रभारों के लिए प्रादेशिक लेखा जारी करेंगे । यू.आई लेखांकन प्रक्रिया आयोग के आदेश द्वारा शासित होगी ।

टिप्पण

यदि उत्पादन केन्द्र केवल उस राज्यों में, जिसमें वह अवस्थित है, ऊर्जा प्रदान करने की संविदा करता है तो अनुसूचीकरण, मानीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन अपने-अपने राज्य भार प्रेषण द्वारा किया जाएगा ।

30. बिल तैयार करने और क्षमता प्रभारों का संदाय : बिल तैयार करने और क्षमता प्रभारों का संदाय निम्नलिखित रीति से मासिक आधार पर किया जाएगा :

(i) प्रत्येक फायदाग्राही उत्पादन केन्द्र की संस्थापित क्षमता के उसकी प्रतिशतता अंश के अनुपात में क्षमता प्रभारों का संदाय करेगा ।

टिप्पण 1

केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन केन्द्रों की कुल क्षमता का आबंटन समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है जो कि अनाबंटित भाग होता है । केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया आबंटित भाग का आबंटन समय-समय पर कुल अनाबंटित क्षमता के लिए

इसे प्रभावी करने के लिए सदस्य, सचिव, प्रादेशिक विद्युत बोर्ड/प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा अग्रिम में आबंटन में ऐसे परिवर्तन की कम से कम तीन दिन पूर्व अधिसूचित किया जाएगा । किसी भी फायदाग्राही का कुल क्षमता अंश, उसकी क्षमता अंश और अनाबंटित भाग में से आबंटन के बराबर होगा । केन्द्रीय सरकार द्वारा अनाबंटित ऊर्जा के कोई विनिर्दिष्ट वितरण के अभाव में तो अनाबंटित ऊर्जा में यथा आबंटित अंश के उसी अनुपात में अनाबंटित अंश को जोड़ दिया जाएगा ।

टिप्पण 2

फायदाग्राही क्षेत्र के भीतर/बाहर राज्यों को आबंटित शेयर का भाग देने का प्रस्ताव कर सकेंगे । ऐसे मामलो में, विद्युत अंतरण की तकनीकी साध्यता पर निर्भर रहते हुए और ऐसे अंतरणों के लिए क्षेत्र के भीतर/बाहर किसी अन्य राज्य के साथ उत्पादन कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट करार किए जाने पर, फायदाग्राहियों के शेयर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पुनःआबंटित किए जा सकेंगे । जब ऐसा पुनःआबंटित किया जाता है तो ऐसे फायदाग्राही, जो शेयर को अभ्यर्पित करते हैं, अभ्यर्पित शेयर के लिए क्षमता प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा और यथा उपरोक्त अभ्यर्पित क्षमता और पुनःआबंटित करने के लिए क्षमता प्रभार उन राज्य (राज्यों) द्वारा संदत्त किए जाएंगे जिनकी अभ्यर्पित क्षमता आबंटित की गई है । यथा उपरोक्त क्षमता के पुनःआबंटित के अवधि के सिवाय, उत्पादन केन्द्र के फायदाग्राही आबंटित क्षमता शेयरों के अनुसार, पूर्व नियत प्रभारों का संदाय निरंतर करेंगे । ऐसे किसी पुनःआबंटन को प्रभावी करने के लिए सदस्य, सचिव, प्रादेशिक विद्युत बोर्ड/प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा अग्रिम में ऐसे आबंटन के कम से कम तीन दिन पूर्व अधिसूचित किया जाएगा ।

(ii) फायदाग्राहियों को अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए किसी भी प्रकार का संव्यवहार करने हेतु पूर्व स्वतंत्रता होगी । ऐसे मामलो में, ऐसे फायदाग्राही, जिसके पास उत्पादन केन्द्र की क्षमता में आबंटन है, अपनी क्षमता शेयर से सभी अपने अनुसूचित और अनुसूचित संव्यवहार के लिए क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार

(जिसमें उनके द्वारा किए गए संव्यवहार के अंतर्गत ऊर्जा का विक्रय भी है) के पूर्व संदाय के लिए दायी होंगे ।

(iii) यदि कोई क्षमता की दिन प्रतिदिन के प्रचालन के दौरान अध्यपेक्षा नहीं की जाती है, तो ऐसे मामले में, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र क्षेत्र और अन्य प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में सभी फायदाग्राहियों को सलाह देगा जिससे कि ऐसी क्षमता की, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को सूचना के अन्तर्गत, संबंधित उत्पादन कंपनी या संबंधित फायदाग्राही (फायदाग्राहियों) के साथ द्विपक्षीय ठहराव के माध्यम से अध्यपेक्षा की जा सकेगी । पुनःअध्यपेक्षा क्षमता के बारे में उस सूचना प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा उनको अपनी-अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

(iv) क्षमता प्रभार ऐसे फायदाग्राही (फायदाग्राहियों) द्वारा संदत्त किए जाएंगे जिसमें वे भी सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित सूत्र के अनुसार प्रत्येक मास उत्पादन कंपनी के क्षेत्र की बाहर के हैं :

(क) ताप ऊर्जा उत्पादन कंपनी को संदेय कुल क्षमता प्रभारों के लिए :

पहले मास = (1 x एसीसी 1) / 12

दूसरी मास = (2 x एसीसी 2 - 1 x एसीसी 1) / 12

तीसरी मास = (3 x एसीसी 3 - 2 x एसीसी 2) / 12

चौथे मास = (4 x एसीसी 4 - 3 x एसीसी 3) / 12

पांचवे मास = (5 x एसीसी 5 - 4 x एसीसी 4) / 12

छठे मास = (6 x एसीसी 5 - 5 x एसीसी 5) / 12

सातवें मास = (7 x एसीसी 7 - 6 x एसीसी 6) / 12

आठवें मास = (8 x एसीसी 8 - 7 x एसीसी 7) / 12

नौवें मास = (9 x एसीसी 9 - 8 x एसीसी 8) / 12

दसवें मास = (10 x एसीसी 10 - 9 x एसीसी 9) / 12

ग्यारवें मास = (11 x एसीसी 11 - 10 x एसीसी 10) / 12

बारहवें मास = (12 x एसीसी 12 - 11 x एसीसी 11) / 12

(ख) ऐसे प्रत्येक फायदाग्राही, जिनके पास उत्पादन केन्द्र की क्षमता में फर्म आबंटन है, निम्नलिखित का संदाय करेंगे :

पहले मास = [एसीसी 1 x डब्ल्यूवी 1]/ 1200

दूसरी मास=[2 एसीसी 2 x डब्ल्यूवी 2- 1 x एसीसी 1 x डब्ल्यूवी 1]/ 1200

तीसरी मास = [3 एसीसी 3 x डब्ल्यूवी 3- 2 x एसीसी 2 x डब्ल्यूवी 2]/ 1200

चौथे मास = [4 एसीसी 4 x डब्ल्यूवी 4- 3 x एसीसी 3 x डब्ल्यूवी 3]/ 1200

पांचवे मास = [5 एसीसी 5 x डब्ल्यूवी 5- 4 x एसीसी 4 x डब्ल्यूवी 4]/ 1200

छठे मास = [6 एसीसी 6 x डब्ल्यूवी 6- 5 x एसीसी 5 x डब्ल्यूवी 5]/ 1200

सातवें मास = [7 एसीसी 7 x डब्ल्यूवी 7- 6 x एसीसी 6 x डब्ल्यूवी 6]/ 1200

आठवें मास = [8 एसीसी 8 x डब्ल्यूवी 8- 7 x एसीसी 7 x डब्ल्यूवी 7]/ 1200

नौवें मास = [9 एसीसी 9 x डब्ल्यूवी 9- 8 x एसीसी 8 x डब्ल्यूवी 8]/ 1200

दसवें मास = 10 एसीसी 10 x डब्ल्यूवी 10- 9 x एसीसी 9 x डब्ल्यूवी 9]/ 1200

ग्यारवें मास = [11 एसीसी 11x डब्ल्यूवी 11-10x एसीसी 10 x डब्ल्यूवी 10]/ 1200

बारहवें मास =[12 एसीसी 12 x डब्ल्यूवी 12-11xएसीसी 11 x डब्ल्यूवी 11]/ 1200

जहां--

एसीसी 1, एसीसी 2, एसीसी 3, एसीसी 4, एसीसी 5, एसीसी 6, एसीसी 7, एसीसी 8, एसीसी 9, एसीसी 10, एसीसी 11 और एसीसी 12 क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और बारहवें मास के अंत तक की संचित अवधि के लिए "उपलब्धता" की तत्स्थानी वार्षिक क्षमता प्रभार की रकम है और डब्ल्यूबी 1, डब्ल्यूबी 2, डब्ल्यूबी 3, डब्ल्यूबी 4, डब्ल्यूबी 5, डब्ल्यूबी 6, डब्ल्यूबी 7, डब्ल्यूबी 8, डब्ल्यूबी 9, डब्ल्यूबी 10, डब्ल्यूबी 11 और डब्ल्यूबी 12 क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और बारहवें मास तक की संचित अवधि के दौरान फायदाग्राही के आबंटित क्षमता शेयर की भारित औसत प्रतिशत है ।

अध्याय 3

हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

31. परिभाषाएं :इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है,--

(i) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है ;

(ii) "अतिरिक्त पूंजीकरण" से केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् वास्तविक रूप से उपगत और विनियम 31 के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् स्वीकार किया गया पूंजी व्यय अभिप्रेत है ;

(iii) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 70 में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(iv) अवधि के संबंध में, "सहायक ऊर्जा उपभोग" से उत्पादन केन्द्र के सहायक उपस्कर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है और इसे उत्पादन केन्द्र की सभी यूनिटों के जनरेटर टर्मिनलों पर उत्पादित कुल ऊर्जा की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा ;

(v) उत्पादन केन्द्र के संबंध में, "फायदाग्राही" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे उत्पादन केन्द्र पर वार्षिक क्षमता प्रभारों का संदाय करने पर उत्पादित ऊर्जा क्रय करता है ;

(vi) "क्षमता सूचकांक" से एक वर्ष तक दैनिक क्षमता का औसत अभिप्रेत है ;

(vii) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(viii) "अंतिम तारीख" से उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के एक वर्ष के पश्चात् समाप्त होने वाला प्रथम वित्तीय वर्ष की तारीख अभिप्रेत है ;

(ix) यूनिट के संबंध में, "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" या "सीओडी" से सफलतापूर्वक परीक्षण पर चलाकर अधिकतम निरंतर रेटिंग (एमसीआर) या संस्थापित

क्षमता (आई सी) को प्रदर्शित करने के पश्चात् उत्पादक द्वारा घोषित तारीख अभिप्रेत है तथा उत्पादन केन्द्र के संबंध में, "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से उत्पादन केन्द्र की अंतिम यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अभिप्रेत है ;

(x) "दैनिक क्षमता सूचकांक (इंडेक्स)" से दिन के लिए अधिकतम उपलब्ध क्षमता प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त की घोषित क्षमता अभिप्रेत है और यह गणितीय रूप से निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त की जाएगी :

$$\text{दैनिक क्षमता सूचकांक} = \frac{\text{घोषित क्षमता (मेगावाट)}}{\text{अधिकतम उपलब्ध क्षमता (मेगावाट)}} \times 100$$

दैनिक क्षमता सूचकांक 100% तक सीमित होगा ।

(xi) **"घोषित क्षमता या डीसी"**

(क) नदी से चलने वाले ऊर्जा केन्द्र के साथ तालाब और भंडारण आकार के उत्पादन केन्द्र के लिए 'डीसी' से जल की उपलब्धता, जल के अनुकूलतम उपयोग और मशीन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, उत्पादक द्वारा यथाघोषित आगामी दिन के व्यस्ततम घंटों में उत्पादन केन्द्र से उपलब्ध की जाने वाली प्रत्याशित मेगावाट में एक्स-बस क्षमता अभिप्रेत है और इस प्रयोजन के लिए, व्यस्ततम घंटे 24 घंटे की अवधि के भीतर 9 घंटे से कम नहीं होंगे ;

(ख) विशुद्ध रूप से नदी से चलने वाले ऊर्जा केन्द्र की दशा में 'डीसी' से जल की उपलब्धता, जल के अनुकूलतम उपयोग और मशीनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन केन्द्र द्वारा यथाघोषित आगामी दिन के दौरान उत्पादन केन्द्र से प्राप्त की जाने वाली प्रत्याशित मेगावाट में एक्स-बस क्षमता अभिप्रेत है ;

(xii) **"समझा गया उत्पादन"** से ऐसी ऊर्जा अभिप्रेत है जिसे उत्पादन केन्द्र उत्पादित करने में समर्थ था किन्तु उत्पादन केन्द्र के नियंत्रण के परे जल के रिसाव के परिणामस्वरूप, ग्रिड या ऊर्जा प्रणाली की स्थिति के कारण उत्पादित नहीं किया जा सका ;

(xiii) **"अभिकल्पित ऊर्जा"** से ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जिसे उत्पादन केन्द्र की 95% संस्थापित क्षमता सहित वर्ष में 90% तक उत्पादित किया जा सकेगा ;

(xiv) **"विद्यमान उत्पादन केन्द्र"** से 1-4-2004 के पूर्व की तारीख से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत है ;

(xv) **"इन्फर्म ऊर्जा"** से उत्पादन केन्द्र के यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन के पूर्व उत्पादित विद्युत अभिप्रेत है ;

(xvi) **"संस्थापित क्षमता" या "आई सी"** से उत्पादन केन्द्र में यूनिटों के नाम पट्ट क्षमता के संकलन या यथा लागू ऊंची दर, कम दर पर विचार करते हुए, समय-समय पर प्राधिकरण के परामर्श से यथा अवधारित उत्पादन केन्द्र (उत्पादक टर्मिनलों पर माना गया) की क्षमता अभिप्रेत है ;

(xvii) **"अधिकतम उपलब्ध क्षमता"** से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) नदी से चलने वाले ऊर्जा केन्द्र तालाब या भंडारण आकार के ऊर्जा केन्द्र

मेगावाट में अधिकतम क्षमता, उत्पादन केन्द्र आगामी दिन के व्यस्ततम घंटों के समय, जल स्तरों की विद्यमान दशाओं के अंतर्गत चल रही सभी यूनिटों में उत्पादन कर सकते हैं ।

स्पष्टीकरण

इस प्रयोजन के लिए, व्यस्ततम घंटे 24 घंटों की अवधि के भीतर 3 घंटे अन्यून होंगे ।

(ख) केवल नदी से चलने वाले उत्पादन केन्द्र

मेगावाट में अधिकतम क्षमता, उत्पादन केन्द्र आगामी दिन पर जल स्तरों, की विद्यमान दशाओं के अंतर्गत चलने वाले सभी यूनिटों में उत्पादन कर सकते हैं ।

(xviii) **"प्रचालन और रखरखाव संबंधी व्यय" या "ओ एंड एम व्यय"** से उत्पादन केन्द्र, जिसमें उसके पुर्जे भी हैं, के प्रचालन और रखरखाव में उपगत व्यय अभिप्रेत है इसके अंतर्गत मानवशक्ति, मरम्मत, अतिरिक्त पुर्जे, खपने वाली सामग्री, बीमा और अन्य वस्तुओं का व्यय भी सम्मिलित है ;

(xix) **'मूल परियोजना लागत'** से टैरिफ़ के अवधारण के लिए आयोग द्वारा यथास्वीकृत अंतिम यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के एक वर्ष के पश्चात् समाप्त होने वाले पहले वित्तीय वर्ष तक परियोजना के मूल विस्तार के अनुसार, परियोजना विकासकर्ता द्वारा उपगत वास्तविक व्यय अभिप्रेत है ।

(xx) **'प्राथमिक ऊर्जा'** से उत्पादन केन्द्र में प्रतिवर्ष आधार पर अभिकल्पित ऊर्जा तक उत्पादित ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है ।

(xxi) **'परियोजना'** से उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत डेम, इनटेक, जल कन्डक्टर प्रणाली, विद्युत उत्पादन केन्द्र और ऐसी स्कीम जो ऊर्जा उत्पादन को प्रभाजित करती है के उत्पादन यूनिट जैसे सभी संघटकों के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन सुविधा सम्मिलित है ।

(xxii) "नदी से चलने वाले ऊर्जा केन्द्र" से हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन केनद्र अभिप्रेत हैं जिनके पास कोई तालाब नहीं है ;

(xxiii) "तालाब सहित नहीं से चलने वाले ऊर्जा केन्द्र" से ऐसे हाइड्रो इलैक्ट्रिक ऊर्जा उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत हैं जिनके पास ऊर्जा मांग के अंतर को पूरा करने के लिए पर्याप्त तालाब हैं ;

(xxiv) "भंडारण आकार के ऊर्जा केन्द्र" से मांग के अनुसार ऊर्जा के अंतर उत्पादन को समर्थ बनाने के लिए वृद्ध भंडारण क्षमता से सहबद्ध हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत है ;

(xxv) **'विक्रीयोग्य प्राथमिक ऊर्जा'** से गृह राज्य को 12% निःशुल्क ऊर्जा की अनुमति देने के पश्चात् विक्रय (एक्स-बस) के लिए उपलब्ध प्राथमिक ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है ।

(xxvi) **'गौण ऊर्जा'** से उत्पादन केन्द्र में प्रति वर्ष आधार पर अभिकल्पित ऊर्जा से अधिक उत्पादित ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है ।

(xxvii) **'विक्री योग्य गौण ऊर्जा'** से गृह राज्य को 12% निःशुल्क ऊर्जा की अनुमति देने के पश्चात्, विक्रय (एक्स-बस) के लिए उपलब्ध गौण ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है ।